

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं

सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 495 रकबा
 12 बीघा, खसरा नं. 582 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा व
 खसरा नं. 590 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा कुल खसरा
 09 कुल रकबा 131 बीघा 8 बिस्वा भूमि में राजस्व
 रिकॉर्ड की प्रमास्थिति बनाये रखते हेतु अंतरिम
 प्रस्ताव निषेधाज्ञा से अप्राभोगिक को तब फैसला
 मूलवायु पाबंद किया जाता है।
 पत्रावली फैसल शमार होकर
 नम्बर एक से कम होकर नतीजा मूलवायु हो।